सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
::मंत्रालय::
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

::– आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 30.04.2020

क्रमांक 137/2020/सी–2– स्टेट कंट्रोल रुम द्वारा जारी पत्र दिनांक 26.04.2020 का अवलोकन करें, जिसमें प्रदेश के बाहर से प्रदेश में तथा प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा की अनुमति दिये जाने हेतु ई–पास के माध्यम से व्यवस्था की गयी है। यह ई–पास उन जिलों से जारी किया जा रहा है जिस जिले में आवेदक को अन्य प्रदेशों से वापस आना है जबकि प्रदेश के अन्दर यह पास सामान्यतः जिस जिले में व्यक्ति वर्तमान में निवासरत है, उस जिले से जारी किया जा रहा है।

ई–पास आवेदन के समय संबंधित आवेदक के निम्न विवरण प्राप्त किये जा रहे हैं:–

1. नाम
2. मोबाईल नम्बर
3. मुख्य यात्री का नाम
4. सह यात्रियों के नाम
5. मुख्य यात्री से संबंध
6. वर्तमान पता
7. वर्तमान निवास का जिला व प्रदेश
8. आने वाले जिले का नाम व स्थान का पता
9. प्रस्तावित दिनांक जिस दिनांक को यात्रा की जानी है

उपयुक्त पाये जाने पर जिले द्वारा ई–पास जारी किया जा रहा है। ई–पास जारी करने पर उपरोक्त समस्त जानकारी स्वीकृतकर्त्ता व जिस जिले में वह व्यक्ति पहुंच रहा है उस जिले के पास उपलब्ध रहती है। अतः यह अपेक्षित है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ई–पास के माध्यम से यात्रा कर रहा है, उसके जिले में पहुंचने पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे। स्वास्थ्य परीक्षण में अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें 14 दिन के लिये Institutional Quarantine एवं अन्यथा की स्थिति में उन्हें 14 दिन का Home Quarantine कराना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त यात्रा Containtment क्षेत्रों से अनुमत्य नही होगी व ई–पास की सुविधा इंदौर, भोपाल व उज्जैन में मात्र चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर ही दी जावेगी। Covid-19 की स्थिति निरंतर परिवर्तन होने के कारण यह आदेश किसी भी समय पूर्णत: या आंशिक रूप से स्थगित किया जा सकता है।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

क्रमांक 138/2020/सी–2 भोपाल, दिनांक 30.04.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
4. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
7. आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
8. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश।
13. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
14. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।
15. प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

Scanned with CamScanner